



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 18747 वर्ष 2025

महेश उपाध्याय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता - अर्पण कुमार पांडे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता - मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री नमित श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के पक्ष में तथा श्री विजय लाल, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य के पक्ष में, सुने गए।

2. यह न्यायालय दिनांक 12.12.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित कर चुका है:

"विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस प्रकरण में निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।"

पुनः सूचीबद्ध करें 19.12.2025 को, नवीन प्रकरण के रूप में।"

3. आज, निर्देश श्री एस.के. पाल, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, द्वारा अग्रेषित किए गए, जिन्हें अभिलेख में ग्रहण कर परिशिष्ट ए अंकित किया गया।

4. श्री एस.के. पाल, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रस्तुत करते हैं कि वे निर्देशों से पूर्ण रूप से अवगत हैं और वे प्रकरण का तर्क प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं तथा किसी शपथ पत्र को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं रखते।

5. पक्षकारों की सहमति से, याचिका नवीन स्थिति में **निस्तारित** की जा रही है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब वह प्रधान प्रहरी के पद पर तैनात था, तो पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह उत्पन्न हुई और वे पुलिस थाना पहुँचे, जहाँ उनके बीच समझौता कर लिया गया। उसके पश्चात् पति-पत्नी पुलिस थाना से अपने घर चले गए और उसके बाद पति ने आत्महत्या कर ली। आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने धक्का-मुक्की की और अवैध वसूली की मांग की, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि पति ने आत्महत्या कर ली। उसके पश्चात् याचिकाकर्ता को 10.07.2025 को निलंबित कर दिया गया।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत याचिकाकर्ता की संलिप्तता का प्रश्न ही नहीं उठता और याचिकाकर्ता केवल मामले को शांत कराने में सहायक था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि निलंबन आदेश स्वयं कायम नहीं रह सकता, क्योंकि निलंबन आदेश में उल्लेख है कि अनुशासनात्मक जांच प्रस्तावित है, परंतु अब प्रारंभिक जांच चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रारंभिक जांच का उद्देश्य तथ्य-संधान करना और सामग्री एकत्र करना है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि प्रकरण निलंबन के योग्य है या नहीं। तथापि, किसी पुलिस कर्मी को निलंबित करना और तत्पश्चात् प्रारंभिक जांच करना सेवा न्यायशास्त्र के लिए नई और अपरिचित प्रथा है। उन्होंने इस संबंध में इस न्यायालय के द्वाँ खंडपीठ निर्णय **कृपा शंकर प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2004) 1 ईएससी 33 और याचिका संख्या 69308 वर्ष 2013 सचिदानंद त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दिनांक 17.12.2013** का हवाला दिया, साथ ही समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों का उल्लेख किया, जिनमें इस प्रकार की प्रथा को निंदनीय बताया गया है।

8. दूसरी ओर, श्री एस.के. पाल, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप चाहे जो भी हों, वे याचिकाकर्ता के विरुद्ध हैं और याचिकाकर्ता को निलंबित करने का औचित्य रखते हैं, अतः इस न्यायालय को इस चरण में आरोपों के मेरिट में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तथापि, उन्होंने यह भी कहा कि निलंबन आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब प्रारंभिक जांच अब प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि निलंबन आदेश को रद्द किया जाए, और प्राधिकरणों को यह स्वतंत्रता दी जाए कि आवश्यक होने पर प्रारंभिक जांच के पश्चात् नया आदेश पारित करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. मैंने बार के समक्ष किए गए तर्क सुने और अभिलेख का अवलोकन किया। तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को 18.07.2025 के आदेश द्वारा निलंबित किया गया था और वर्तमान याचिका दाखिल करने की तिथि 03.12.2025 तक कोई आरोप-पत्र (चार्जशीट) तैयार नहीं किया गया था। तथापि, निर्देशों के पृष्ठ संख्या 7 पर यह दर्शाया गया है कि प्रारंभिक जांच कराने का निर्देश दिया गया है। इस न्यायालय के विचार में, प्रारंभिक जांच पहले संपन्न होनी चाहिए और उसके पश्चात, यदि आवश्यक हो, तो निलंबन आदेश पारित किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं।

10. अतः याचिका निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निस्तारित की जाती है:

- i. 18.07.2025 के आदेश को, जो पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ द्वारा पारित किया गया था, रद्द किया जाता है।
- ii. तथापि, प्रत्यर्थियों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे प्रारंभिक जांच के परिणाम के पश्चात नया आदेश पारित कर सकते हैं।
- iii. यदि याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया और उसके भते रोके गए थे, तो उन्हें याचिकाकर्ता को पुनः भुगतान किया जाएगा, अधिनियमित नियमों के पालन के अधीन।
- iv. जांच को तीन माह की अवधि में संपन्न किया जाना चाहिए।

19 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।